

HEB

## रॉल्स का न्याय सिद्धांत और सामाजिक आत्म सम्मान

CASS


दीपिका कुमारी<sup>1</sup>

1. पूर्व शाधे I छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय।

*Email ID- nandusocio@gmail.com***सारांश:**

न्याय का अर्थ ही होता है समाज में समानता की व्यवस्था करना और सभी व्यक्तियों का उनकी योग्यता के अनुसार उन्नति करने के अवसरों का प्राप्त करना। इसमें समान अधिकारों का होना भी आवश्यक है। यह सभी तथ्य व्यक्ति के आत्म सम्मान से जुड़े हुए हैं। इसलिए रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत सामाजिक आत्म सम्मान के संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। सामाजिक न्याय व्यक्तियों के आत्म सम्मान से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत लेख में रॉल्स का न्याय सिद्धांत और सामाजिक आत्म सम्मान के संदर्भ में व्याख्या प्रस्तुत करता है।

**प्रमुख शब्द :** रॉल्स, न्याय का सिद्धांत, सामाजिक, आत्म सम्मान, बाजारवाद, उपयोगितावाद, अधिकार।

Access this Article Online	Quick Response Code: 
Website: <a href="http://heb-nic.in/cass-studies">http://heb-nic.in/cass-studies</a>	
Received on 03/01/2019	
Accepted on 06/01/2019 © HEB All rights reserved	

## आत्म सम्मान

आत्म सम्मान को बहुत ही साधारण अर्थ में स्वयं को प्रदान किए जाने वाला व्यक्तिगत मूल्य, स्वयं को देखने के दृष्टिकोण की गुणवत्ता के रूप में जाना जाता है। स्वयं के तथ्यों के अतिरिक्त इसे अंतर्क्रियात्मक तथ्यों से सीखा तथा बनाया जाता है। आत्म सम्मान स्वयं से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक भावना है। इसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता जीवन में प्राप्त सफलताओं और असफलताओं पर निर्भर करती है। आत्म सम्मान स्वयं का जानने का एक परीक्षण है। आत्म सम्मान संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है जिसमें व्यवहार, अनुभवों का एकीकरण और स्वयं के प्रति विश्वास का दृष्टिकोण संगठित रहता है।

कूपरस्मिथ के अनुसार 'आत्म सम्मान' किसी भी व्यक्ति की क्षमता, सफलता, धन, विश्वास के प्रति दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है।'

आत्म सम्मान के विकास में व्यक्ति की इच्छाएं, सफलता और असफलता के अनुभवों की यथार्थता सहायक होती है। आत्म सम्मान का शास्त्रीय संदर्भ निम्न प्रकार है –

आत्म सम्मान का अनुभव → स्व के प्रति धारणा स्व-धारणा की व्यवहारिकता

उदाहरण के लिए, यदि अभिभावक बच्चे में ऐसे व्यवहार करे जिससे उसका आत्म सम्मान निम्न रह जाए तो उस बच्चे का शैक्षणिक जीवन भी खराब हो जाता है जबकि यदि अभिभावक बच्चे का उच्च आत्म सम्मान के साथ सामाजीकृत करे ता परिणाम इसके विपरीत निकलेगा।

## आत्म सम्मान के सिद्धांत

**बहु आयामी और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत**— बहु आयामी सिद्धांत में यह बताया गया कि आत्म सम्मान में अंतर्क्रियात्मक संबंधों का प्रभाव रहता है। इसमें मित्रता, माता पिता से संबंध, प्रेम आदि आयामों का प्रभाव रहता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आत्म सम्मान व्यक्तित्व की पहचान का अभिव्यक्त करता है। यह किसी व्यक्ति के विचारों का दूसरे के सम्मुख अभिव्यक्त करता है और इसी से व्यक्ति की पहचान बनती है। विलियम ग्लॉसर (1965) ने यथार्थवादी निदान के अनुसार यह बताया कि आत्म सम्मान 'सफल पहचान और असफल पहचान' के मध्य के द्वंद से निर्मित होते हैं।

**मानववादी प्रघटनात्मक सिद्धांत**— रेमण्ड (1969) ने बताया कि समाज में जब हम मूल्यों और प्रतिमानों का मूल याकं न करते हैं तब हमारी एक सोच बन जाती है जिसे 'प्रतिबिंबित मूल्यांकन' कहते हैं जिसमें हम स्वयं का समाज के आइने में देखकर स्वयं का मूल याकं न करते हैं। इसी मूल्यांकन में हम दूसरों का मूल याकं न करते हैं और स्वयं व दूसरों के इसी मूल याकं न का परिणाम आत्म सम्मान का निर्माण करता है।

**स्व विकास अनुरक्षण सिद्धांत**— आत्म सम्मान प्रायः इससे प्रभावित होता है कि व्यक्ति दूसरों की तुलना में कितना अच्छा और कितना बुरा अभिव्यक्त हो रहा है। इस सिद्धांत में टीजर (1988) के अनुसार अभिव्यक्ति का परिणाम व्यक्तित्व पर मनावे ज्ञानिक प्रभाव डालता है जिससे काइरे अपनी स्वयं की परिभाषा निर्मित करता है। इसलिए स्वयं के विकास में स्व का अनुरक्षण करते हुए बिना दूसरे से स्वयं की तुलना करते हुए स्वयं की क्षमताओं के अनुसार जो स्वयं की परिभाषा बनाता है उसका आत्म सम्मान उच्च निर्मित हाते है।

**संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत**— एराने सन (1980) के अनुसार ऐसे कुछ अनुभव होना जिससे व्यक्ति के स्व का नुकसान होता है अथवा उस प्रेरणा मिलती है संज्ञानात्मक विसंगति कहलाती है। स्टेली (1988) ने बताया कि आत्म सम्मान एक दूसरे के प्रभावों का परिणाम होता है। इसके निर्मित होने की प्रक्रिया में अच्छे और बुरे संज्ञानों और विसंगतियों का यागे दान रहता है जिनके प्रभाव से हम स्वयं का मूल्यांकन करते हुए स्व के प्रति एक दृष्टिकोण निर्मित करते है।

आत्म सम्मान व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी। किसी भी समाज में समानता जिसमें आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनैतिक समानता के साथ इस प्रकार की राजनीतिक समानता हो जिसमें सभी को एक दूसरे के समान अथवा उसके अनुरूप न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हो ता समाज में

सामाजिक आत्म सम्मान में वृद्धि होती है। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की न्याय व्यवस्था अथवा अधिकारों की व्यवस्था की जाए जिसमें समाज के उस वर्ग अथवा व्यक्ति का भी आत्मसम्मान प्राप्त हाे सके जाे आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है तब समाज में एक उचित व्यवस्था का निर्माण होता है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में इसी सामाजिक आत्मसम्मान की खाजे की गई है।

समानता आरे न्याय के संवितरण का उद्देश्य उन असमानताओं का उन्मूलन भी है जो विशेष परिवार, जाति या धर्म में जन्म लेने से पैदा होती हैं। परंपरागत समाजों में बालक का भविष्य उसके मातापिता तथा परिवार के सामाजिक स्तर से तय होता है। संपन्न परिवार में जन्मे व्यक्ति को धनद्वैभव के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी बिना कुछ अतिरिक्त श्रम किए हासिल हो जाती है। दूसरी आरे विपन्न परिवारों में जन्मे व्यक्ति का पहले अपने अस्तित्व के संकट से जूझना पड़ता है, तदनंतर वह विकास की बात सोच पाता है। इस तरह संपन्न परिवार में जन्मे व्यक्ति के बराबर में आने के लिए सामान्य व्यक्ति को उससे कहीं अधिक लंबी दूरी पार करनी पड़ती है। संपन्न परिवार में जन्मा व्यक्ति यदि कुछ न भी करे ता भी उच्च सामाजिक स्थिति, पद-प्रतिष्ठा का लाभ उसे मिलता है। जिसके सहारे वह आगे बढ़ता जाता है। दूसरी आरे साधारणजन को विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित होने के लिए अपनी वर्तमान स्थिति को बचाने हेतु प्रयत्न के अलावा उन बाधाओं से भी जूझना पड़ता है जाे उसकी दुर्दशा काे बनाए रखना चाहती हैं। दूसरे शब्दों में विकास की दौड़ में बने रहने के लिए संपन्न व्यक्ति का काम केवल समानांतर यात्रा से चल जाता है, वहीं विकास की धारा में शामिल होने के लिए विपन्न वर्ग काे उर्ध्वाधर यात्रा करनी पड़ती है, जो समानांतर यात्रा की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन होती है। संसाधनों और राज्य के समर्थन के अभाव में जनसाधारण की विकास यात्रा और भी कठिन हो जाती है। जॉन रॉल्स के शब्दों में – रॉल्स के अनुसार शब्दों में संवितरणात्मक न्याय ऐसे ही सामाजिक, राजनीतिक कारणों से वंचित रह गए लोगों काे अतिरिक्त सहारा देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जरूरी है। राज्य तथा उसकी सहायक संस्थाओं का यह दायित्व है कि जन्म अथवा सामाजिक स्तरीकरण के कारण विकास की स्पर्धा में पिछड़ गए लोगों के कल्याण के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए। उनमें यह विश्वास उत्पन्न करे कि समाज जीवन की प्रत्येक

चनु तैी में उसके साथ है। उसे चाहिए कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण का उपयुक्त माहौल पैदा करे। जिसमें उसके विकास के भी भरपूर अवसर हो। बजाय इसके समाज कानून का जखीरा खड़ा कर देता है। समाज के अनुसार मनुष्य की नकारात्मक वृत्तियां दूसरों को नुकसान न पहुंचाए इसके लिए कानून की जरूरत पड़ती है। विवाद की स्थिति में वे उचितदृष्टानुचित में से उचित का चिह्न कर, उसको संरक्षण प्रदान करती हैं। अनुचित के लिए राके थाम और दंड की व्यवस्था भी। लेकिन अपनी शीर्षोन्मुखता में न्याय सामाजिक स्तरीकरण का बड़ावा देने वाला सिद्ध होता है, जिससे उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। रॉल्स दो प्रकार के सिद्धान्तों पर सहमति करने का तथ्य रखते हैं –

(क) समाज में प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के समान ही अधिकार अथवा उन अधिकारों के अनुरूप अधिकार प्राप्त हों।

(ख) सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति अथवा वर्ग का उसका सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो तथा समाज में उन्नति हते सभी का उचित समान अवसर मिले जिसमें सभी का उपलब्ध पदों से संबद्ध किया जा सके।

**प्रथम सिद्धान्त में उल्लेखित मूल**—स्वतन्त्रताओं से रॉल्स का आशय 'नागरिकता की स्वतन्त्रताओं' से है। इनमें राजनीतिक स्वतन्त्रता जिसमें मतदान की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, भाषण व सभा करने की स्वतन्त्रता और मनमाने ढंग से बन्दी बनाने या समान जब्त करने के विरुद्ध स्वतन्त्रताएं सम्मिलित हैं परंतु उनमें आर्थिक स्वतन्त्रताएं जिनमें उत्पादन साधनों पर नियंत्रण, स्वामित्व, वंशानुक्रमित संपत्ति अधिग्रहण और उसका आवंटन सम्मिलित नहीं है।

**प्रथम सिद्धान्त के अनुसार मूल**—स्वतन्त्रताएं समान और व्यापक होनी चाहिये। रॉल्स के दूसरे 'विभिन्नता के सिद्धान्त' का प्रथम अंश सम्पत्ति और शक्ति के समान वितरण की मांग ता नहीं करता, लेकिन वह यह जरूर चाहता है कि सभी असमानताएं कमजोर वर्गों का सर्वाधिक लाभ पहुंचाए। रॉल्स के अनुसार इन असमानताओं के रहते ऐसे कमजोर वर्गों प्रशिक्षण, शिक्षा का खर्च वहन किया जाए या ऐसे लाभ दिये जायें जिससे इन वर्गों के प्रयास और ज्यादा उत्पादकतापूर्ण हो सके। सम्पन्न लोगों का प्रेरित किया जाय कि वे अपनी योग्यताओं का प्रयोग ऐसे वर्गों के उत्थान हते करे।

रॉल्स के सिद्धान्तों पर आधारित समाज का सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धी उपयोगितावादी समाज है पर उपयोगितावादी समाज में सर्वाधिक कमजारे वर्ग को 'अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख' के लिये न्यौछावर होना पड़ सकता है। इससे इस वर्ग के लोगों के आत्म-सम्मान को ठेस लगेगी और यदि उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे 'अधिकतम लोगों' के सुख के लिये साधन मात्र होकर रह गये हैं तो वे न केवल आहत महसूस करेंगे, वरन् उनमें प्रतिशोध की भावना घर कर सकती है। ऐसे समाज अस्थायी होगा, पर रॉल्स द्वारा प्रतिपादित समाज में इसकी संभावना नहीं रहती; वहां सर्वाधिक कमजारे वर्ग का आत्म-सम्मान सुरक्षित रहता है और उसकी इच्छाएं पूरी हाते हैं जिससे समाज स्थायी होता है।

यदि रॉल्स के प्रथम व द्वितीय सिद्धान्तों में टकराव हो जाय तो क्या होगा? जब समाज में सम्पन्नता का एक न्यूनतम-स्तर प्राप्त हो जाय, ता रॉल्स के अनुसार प्रथम सिद्धान्त का ही वरीयता दी जायगी। इसका अर्थ यह है कि सम्पत्ति और सत्ता की असमानता का ऐसे संयोजित किया जायेगा कि वह मूल स्वतंत्रताओं के सिद्धान्त के अन्तर्गत वांछित समान स्वतन्त्रता के अनुरूप हो परंतु जब समाज सम्पन्नता का वांछित स्तर भी प्राप्त कर ले तब भी उन लोगों को अपनी अधिक से अधिक समान स्वतन्त्रताओं का बनाये रखना होगा जा समाज से सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम सिद्धान्त का द्वितीय सिद्धान्त की तुलना में वरीयता देने का कारण यह है कि 'सम्पन्नता' के एक स्तर के नीचे लागे अपनी स्वतन्त्रता का प्रभावी प्रयोग नहीं कर सकते परंतु वह स्तर प्राप्त करने के बाद लागे सामाजिक व आर्थिक वस्तुओं की तुलना में स्वतन्त्रता को ही महत्व देते हैं। वे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचियों और राजनीतिक सहभागिता का महत्व देने लगते हैं। 'स्वतन्त्रता' न केवल इन्हें वरन् आत्म-सम्मान को भी प्राप्त करने में मदद करती है।

न्यायपूर्ण समाज – रॉल्स का प्रथम सिद्धान्त एक ऐसे संवैधानिक लाके तन्त्र की परिकल्पना करता है जिसमें राजनीतिक और बौद्धिक स्वतन्त्रता होगी तथा समतामूलक समाज होगा। रॉल्स जिस समाज की परिकल्पना करता है उसमें राजनीतिक प्रक्रिया में सभी का समान हिस्सेदारी मिलेगी, सभी लागे राजनीतिक दलों के सदस्य हो सकेंगे, चुनाव लड़ सकेंगे, उच्च पदों पर आसीन हो सकेंगे और सबके मत का मूल्य बराबर होगा। ऐसा होने से जाँ कानून बनेंगे वे न्यायपूर्ण तथा प्रभावी होंगे। उस समाज में चिन्तन, वाद-विवाद और अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता होगी। ये स्वतन्त्रता जिन हितों का सुरक्षित करती हैं वे आर्थिक व सामाजिक सुविधाओं से कहीं ज्यादा जरूरी हैं परंतु ये स्वतन्त्रताएं निरंकुश नहीं; उन पर दाँ प्रकार के अंकुश रखे जा सकेंगे –

(1) समाज की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता – व्यवस्था काँ और पुष्ट करने के लिये,

(2) समाज को सम्पन्नता के उस वाछित स्तर तक ले जाने के लिये, जहाँ स्वतंत्रता का समुचित प्रयोग हो पाता है – जैसे समाज में शांति-व्यवस्था और सुरक्षा के लिये अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े समाजों में उच्च आर्थिक विकास के लिये ऐसे प्रतिबन्ध लगायें जा सकते हैं। यद्यपि यह प्रतिबन्ध महत्वहीन नहीं है, फिर भी रॉल्स की मूल मान्यता यही है कि राज्य व्यक्ति की मूल –स्वतन्त्रताओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। रॉल्स बाजार-अर्थव्यवस्था काँ दक्षता के लिये उपयोगी ताँ मानता है, लेकिन वह राज्य काँ बाजार में हस्तक्षेप का व्यापक अधिकार भी देता है। इसका कारण यह है कि मूल संविदावादी बाजार की अस्थिरता व उसमें आने वाले खतरों से बचना चाहते थे। बाजार व्यक्ति की आय को नियन्त्रित करता है, परंतु राज्य सबसे गरीब लागेों काँ कुछ धन देकर उनकी दीर्घकालीन अपेक्षाओं काँ संभव बनाता है। राज्य यह धन कर के माध्यम से एकत्र करता है। ऐसे गरीबों काँ बहुत ज्यादा लाभ देने से भी उनकी स्थिति में काँड़े विशेष फर्क नहीं पड़ता है। रॉल्स के अनुसार समाज अपने सदस्यों का आत्म-सम्मान बनायें रखने के लिये उन्हें समान स्वतन्त्रता दे, भले ही उसमें अन्य प्राथमिक वस्तुएं देने में विभिन्नता का सिद्धान्त अपनाना पड़े। हालांकि लागेों काँ अपने पदों और अपनी आय के अनुरूप भी अपने आत्म-सम्मान को देखना आता है। यदि समाज के वंचितों की सम्पत्ति और धन बढ़ भी जाय ताँ भी वे अन्य गरीब असमानताओं के चलते स्वयं काँ तुलनात्मक-वंचना का शिकार मानेंगे। अतः सरकार काँ मान्य सामाजिक असमानताओं का निर्धारण करने में इसका ध्यान रखना पड़ेगा और उन असमानताओं काँ दूर करना पड़ेगा। जिससे निचले तबके के लागेों में आत्म-सम्मान घटता है। वैसे ताँ आत्म-सम्मान का वस्तुनिष्ठ आकं लन संभव नहीं, फिर भी उन असमानताओं काँ अवश्य चिन्हित किया जा सकता है जिससे सबसे निचले तबके के लागेों का आत्म-सम्मान आहत होता हो। रॉल्स उन सभी प्रतिबन्धों का समर्थन करता है जिससे एक 'न्यायपूर्ण-समान-स्वतंत्रता' तथा 'सबसे निचले तबके के आत्म-सम्मान' की रक्षा ही जा सके।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. The sense of justice is continuous with the love of mankind." A THEORY OF JUSTICE- JOHN RAWLS
2. Ignoffo, Matthew. Everything you need to know about self-confidence. 1st ed. New York : Rosen Pub. Group, 1996.
3. Tyrell, M. (n.d.). *Top Ten Facts about Low Self Esteem*. Retrieved 2014
4. *Self Esteem*. (n.d.). Retrieved 2014, from Dictionary.com: <http://dictionary.reference.com>
5. Louella Lim, P. N. (2005, July). *Improving Self-Esteem*. Retrieved 2014, from CCI Health